न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 43/2019 दायर दिनाँक 28.01.2019

वादी

भैंरूराम पुत्र पुसाराम उम्र 55 वर्ष जाति जाट निवासी लेगा की ढाणी तोषिणा, तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. श्रवणीदेवी पत्नि स्व0 रामसुखपुरी
2. ज्ञानप्रकाश पुत्र स्व0 खेतापुरी
3. सुरेशपुरी पुत्र स्व0 रामसुखपुरी
4. राकेशपुरी पुत्र स्व0 रामसुखपुरी
5. कल्याणपुरी पुत्र फूलपुरी समस्त जाति गुसाई निवासीगण रूंवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
6. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खुनखुना तहसील डीडवाना।
7. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मौलासर तहसील डीडवाना।
8. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188

उपस्थित:–

1. श्री विरेन्द्र सिंह वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **07.07.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि सरहद रूंवा पटवार क्षैत्र सानिया भू अभि0 निरिक्षक क्षैत्र खुनखुना में स्थित खेत खसरा सं0 493 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं0 499 रकबा 53 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 56 बीघा 7 बिस्वा भूमि में वादी व प्रतिवादी के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक 26.04.2022 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 1059 दिनाँक 20.05.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1059 दिनाँक 20.05.2022 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:43:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

–:: आदेश ::–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद रूंवा पटवार क्षैत्र सानिया भू अभि0 निरिक्षक क्षैत्र खुनखुना में स्थित खेत खसरा सं0 493 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं0 499 रकबा 53 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 56 बीघा 7 बिस्वा भूमि में वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 1059 दिनाँक 20.05.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 1059 दिनाँक 20.05.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **07.07.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:43:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 43 / 2019 दायर दिनाँक 28.01.2019

वादी

1. भैंरूराम पुत्र पुसाराम उम्र 55 वर्ष जाति जाट निवासी लेगा की ढाणी तोषिणा, तहसील डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. श्रवणीदेवी पत्नि स्व0 रामसुखपुरी
2. ज्ञानप्रकाश पुत्र स्व0 खेतापुरी
3. सुरेशपुरी पुत्र स्व0 रामसुखपुरी
4. राकेशपुरी पुत्र स्व0 रामसुखपुरी
5. कल्याणपुरी पुत्र फूलपुरी समस्त जाति गुसाई निवासीगण रूंवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
6. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खुनखुना तहसील डीडवाना।
7. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मौलासर तहसील डीडवाना।
8. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—88, 53 R.T.Act.

दिनाँक 07.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री विरेन्द्र सिंह वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद रूंवा पटवार क्षैत्र सानिया भू अभि0 निरिक्षक क्षैत्र खुनखुना में स्थित खेत खसरा सं0 493 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं0 499 रकबा 53 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 56 बीघा 7 बिस्वा भूमि में वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 1059 दिनाँक 20.05.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 1059 दिनाँक 20.05.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत....................—.......... ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 07.07.2022 को सरे इजलास जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:43:38 IST
Reason: SelfAttested

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन [illegible] चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner